संख्या-973/चौवालिस-2-119-89

प्रेषक,

आर0 रमणी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त उद्यमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी।

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 1989

विषय :- विपणन कार्यों के लिए पी0जी0 डिप्लोमा इन सेल्स एण्ड मार्केटिंग मैनेजमेन्ट शैक्षिक योग्यता को वैकल्पिक अथवा वरीयान अर्हता के रूप में निर्धारित किया जाना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

आपको विदित है कि व्यवसाय/उत्पादन कार्यों में लगे हुए उद्यमों के लिए उनकी सफलता की एक प्रमुख कसौटी उत्तरोत्तर उनके द्वारा संबंधित बाजार क्षेत्र में धारित अंश (शेयर इन मार्केट) से है। उद्यमों को अंशपूंजी के अनुपात में एक ऐसा बिक्री स्तर प्राप्त करना आवश्यक है जिससे खर्च को वहन करने के उपरान्त निगम सुनिश्चित रूप से लाभ अर्जित कर सके। यह तभी संभव है जबकि बिक्री संगठन में सेल्स तथा मार्केटिंग मैनेजमेन्ट में प्रशिक्षित योग्यताधारी कार्मिकों की सेवाएं उपयोग की जायं।

2-मुझे यह अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा राजकीय पालीटेक्नीक कानपुर, बाराबंकी में "एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन सेल्स एण्ड मार्केटिंग मैनेजमेन्ट" संचालित किया जा रहा है। कोर्स से संबंधित विषय सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह शैक्षिक योग्यता बिक्री संगठन में कनिष्ठ तथा मध्यम स्तरीय पदों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

3-उपयुक्त शैक्षिक योग्यताधारियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि विपणन प्रभाग तथा बिक्री कार्यों के लिए भविष्य में होने वाली भर्ती में "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन सेल्स एण्ड मार्केटिंग मैनेजमेन्ट" को वैकल्पिक/वरीयान अर्हता के रूप में निर्धारित करने का कष्ट करें।

4-मुझे विश्वास है कि बिक्री संगठन में प्रशिक्षित कर्मचारियों की भर्ती विपणन के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार लाने तथा बिक्री बढ़ाने में सहायक होगी और इससे उद्यम के व्यवसाय में वृद्धि के साथ समुचित लाभ की ओर अग्रसर करने में सहायता मिलेगी।

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-973(।)/चौवालिस-2-।।9-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

।- समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-96 /कैम्प/पी0आर0ए0एस0एच0 आई0-।989-48(बी)/89, दिनांक ।9 मई, ।989 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।